भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 94

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहाण, 1946 (शक) को दिया गया

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन

94. श्री बस्तीपति नागराजू:
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले आयकरदाताओं के संबंध में कोई मामला प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर ध्यान देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) वित्त वर्ष 2023-2024 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित राज्यों/संघ राज्योंक्षेत्रों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अटल पेंशन योजना की न्यूनतम गारंटीकृत राशि को दोगुना करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा योजना के कामकाज की देखरेख के लिए कोई उपाय किए गए हैं या किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ सभी भारतीयों विशेषकर गरीबों, अल्पसेवितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सर्व-सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 9.5.2015 को किया गया था। योजना को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए दिनांक 1.10.2022 से आयकरदाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एपीवाई के अन्तर्गत नामांकन का आन्ध्रा प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है।

(ग) एपीवाई योजना प्रति माह 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए और 5000 रुपए की लचीली न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन प्रदान करने की पेशकश करती है। तदनुसार, वर्तमान में प्रति माह अभिदान राशि एपीवाई योजना शामिल होने की उम्र और चयन की गई पेंशन राशि के आधार पर 42 रुपये से 1454 रुपये तक अलग-अलग होती है। पेंशन राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि से अभिदान राशि में पर्याप्त वृद्धि होने और अभिदाता पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है। वर्तमान में, इस योजना को समान नियम और शर्तों के अधीन जारी रखने और पेंशन और परिणामी अभिदान राशि में और वृद्धि न करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) योजना के कामकाज की देखरेख के लिए पीएफआरडीए और सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. नामांकन के संबंध में बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) की नियमित निगरानी की जाती है।
ii. एपीवाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी उच्च स्तर पर बैंकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है।
iii. जागरूकता सृजन के लिए समय-समय पर प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।
iv. पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर मूर्त रूप से एपीवाई उपलब्ध कराने का (आऊटरीच) कार्यक्रम और टाउनहॉल बैंठकें आयोजित की जाती है।

****

अनुबंध-क

"अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 94 का उत्तर 25.11.2024 को दिया जाएगा

एपीवाई के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार सकल नामांकन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25 (31.10. 2024 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,708	1,292
2	आंध्र प्रदेश	5,63,430	3,23,765
3	अरुणाचल प्रदेश	19,975	3,224
4	असम	3,40,923	1,39,423
5	बिहार	11,62,827	5,47,646
6	चंडीगढ़	21,650	6,200
7	छत्तीसगढ़	2,72,699	1,56,018
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	24,112	8,229
9	दिल्ली	1,69,868	60,157
10	गोवा	25,115	7,711
11	गुजरात	3,92,456	2,10,286
12	हरियाणा	2,62,303	1,21,897
13	हिमाचल प्रदेश	82,979	42,976
14	जम्मू और कश्मीर	38,885	16,925
15	झारखंड	4,07,257	2,35,993
16	कर्नाटक	5,25,912	4,08,785
17	केरल	1,89,356	1,61,241
18	लद्दाख	769	280
19	लक्षद्वीप	511	285
20	मध्य प्रदेश	8,05,804	3,80,042
21	महाराष्ट्र	10,52,392	5,09,618
22	मणिपुर	20,545	7,429
23	मेघालय	20,912	6,621
24	मिजोरम	8,432	1,675
25	नागालैंड	28,513	5,570
26	ओडिशा	4,52,948	2,42,424
27	पुडुचेरी	11,790	6,469
28	पंजाब	3,36,653	1,73,425
29	राजस्थान	6,79,175	3,49,625
30	सिक्किम	55,266	16,897
31	तमिलनाडु	7,15,766	3,73,230
32	तेलंगाना	3,50,615	1,80,883
33	त्रिपुरा	51,519	25,457
34	उत्तर प्रदेश	21,23,924	10,53,235
35	उत्तराखंड	1,30,340	62,615
36	पश्चिम बंगाल	9,42,444	4,82,921
37	एनआरआई/अन्य	717	1,539
कुल		**1,22,93,490**	**63,32,008**

स्रोत: पीएफआरडीए